भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3139
दिनांक 07 अगस्त 2025

परिवहन क्षेत्र में एलएनजी को बढ़ावा देना

†3139. **श्री ससिकांत सेंथिलः**

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के उत्पादन और उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 2023 से कोई पहल की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;

(ख) क्या 2022-25 के दौरान स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग पर एलएनजी फिलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे स्टेशनों की संख्या और उनकी वर्तमान परिचालन स्थिति क्या है;

(ग) क्या पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित परिवहन के स्थान पर एलएनजी आधारित मध्यम और भारी वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कोई नीतिगत उपाय या प्रोत्साहन शुरू किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकारी तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक परिवहन वाहनों के लिए एलएनजी वितरण स्टेशन शुरू किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश भर में वर्तमान में कार्यरत ऐसे स्टेशनों की संख्या कितनी है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ) देश में प्राकृतिक गैस की माँग प्राकृतिक गैस के घरेलू उत्पादन के साथ-साथ तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात से पूरी होती है। सरकार ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था के विकास को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के लिए एलएनजी की उपलब्धता बढ़ाना शामिल है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, एलएनजी टर्मिनलों सहित एलएनजी अवसंरचना की स्थापना के लिए 100% स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना, एलएनजी आयात के लिए खुला सामान्य अनुज्ञप्ति (ओजीएल) श्रेणी आदि शामिल हैं। आज की तिथि में, लगभग 52.7 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाले आठ (8) एलएनजी पुनर्गैसीकरण टर्मिनल प्रचालन में हैं।

सरकार भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू), राष्ट्रीय राजमार्गों, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग, उत्तर-दक्षिण राजमार्ग और प्रमुख खनन समूहों में एलएनजी स्टेशन स्थापित करने की पहल कर रही है। अब तक राज्य के स्वामित्व वाली तेल और गैस कंपनियों द्वारा 13 एलएनजी खुदरा स्टेशन चालू किए जा चुके हैं। इसके अलावा, निजी कम्पनियों के स्वामित्व वाले 16 एलएनजी खुदरा स्टेशन भी चालू हैं।

परिवहन ईंधन के रूप में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

i. सरकार द्वारा एलएनजी को परिवहन ईंधन के रूप में मान्यता दी गई है और इस संबंध में एलएनजी वाहनों के उत्सर्जन मानकों को भी अधिसूचित किया गया है।
ii. सरकार ने स्पार्क इग्निशन इंजन या कम्प्रेशन इग्निशन प्रकार के आंतरिक दहन इंजन के एलएनजी ईंधन प्रकार के वाहनों को खतरनाक क्षेत्रों में संचालित करने, अन्य सहित रेलवे, खनन, जलमार्ग, परीक्षण प्रयोगशालाओं आदि जैसे गैर-परिवहन क्षेत्रों में एलएनजी मोबाइल वितरण की अनुमति देने हेतु स्टैटिक और मोबाइल दाब वाहिकाओं (अज्वलित) (संशोधन) नियम, 2025 में संशोधन किया है।
iii. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने वर्ष 2020 में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उसने पीएनजीआरबी के सीजीडी प्राधिकार के बावजूद एक कम्पनी को एलएनजी आरओ (खुदरा बिक्री केन्द्र) स्थापित करने की अनुमति दी है। (तथापि, यह केवल परिवहन क्षेत्र में तरल अवस्था में एलएनजी वितरण के लिए एलएनजी स्टेशनों की स्थापना और प्रचालन के लिए अनुमन्य है)।

*****